



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा- 2016

संख्या :: 239/16/ E-1/ DRPCS-16/2016-17

हरिद्वार :: दिनांक :: 30 अगस्त, 2017

अनर्ह सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा- 2016 के परिणाम दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति संख्या- 49/16/E-1/DRPCS-16/2016-17, दिनांक 05 मई, 2017 द्वारा परीक्षा शुल्क, परीक्षा केन्द्र एवं ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जमा करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त परीक्षा शुल्क एवं प्रमाण-पत्रों के परीक्षण के पश्चात् मा० आयोग द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निम्नवत् निरस्त कर दिया गया है :-

(i) अधोलिखित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 05 मई, 2017 के क्रम में मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिसके आधार पर निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है :-

800673	805171	807033	807498	808078	809540	811320	813207
814018	817088	818056	818711	818845	820280	827252	828368
832216	833137	833286	833755	834187	835264	835587	836066
836634	837231	839640	845365	846776	854638	859766	860834
867223	871438	873115	874784	875330	877380	877492	881116

(ii) अधोलिखित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 05 मई, 2017 के क्रम में प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जमा नहीं किये गये हैं। तदक्रम में निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है :-

800123	801114	801118	806183	810360	810581	810915	811255
812233	812292	812888	813454	814076	814340	819411	820203
820596	822615	822854	823009	823318	824682	824719	827076
827668	827921	829487	830060	831105	831638	831723	833117
835095	835912	836488	838014	838561	839942	840052	840564
841394	843938	844675	846847	847410	848116	849299	851318
853459	853498	854360	856319	856383	856699	856944	858396
859683	862328	863112	864173	868252	868791	869970	869996
873400	873660	878724	879187	880324	881145	--	--

(iii) सम्पादक पद हेतु विज्ञापन में विहित अर्हता धारित न करने के कारण निम्नवत् अभ्यर्थन निरस्त किया गया है :-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
01.	804031	बी०ए० हिन्दी साहित्य। अनुभव धारित नहीं करते हैं।
02.	813019	बी०टेक० कम्प्यूटर इंजीनियरिंग। स्नातक में हिन्दी विषय व अनुभव नहीं है।

03.	828820	बी0बी0ए0। स्नातक में हिन्दी विषय नहीं है व अनुभव नहीं है।
04.	854497	स्नातक में हिन्दी है, परन्तु अनुभव नहीं है।
05.	874855	पत्रकारिता में स्नातक। 07 वर्ष का अनुभव परन्तु हिन्दी विषय में स्नातक नहीं है।
06.	838603	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव के सम्बन्ध में विजन 2020 राष्ट्रीय मासिक समाचार-पत्र का नियुक्ति पत्र दिनांक 01.06.2010 प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त नियुक्ति-पत्र से कार्य अवधि का उल्लेख नहीं है। विज्ञापन के अनुसार 05 वर्ष के अनुभव आवश्यक है तथा अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्तानुसार अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।

(iv) सहायक नगर नियोजक पद हेतु विज्ञापन में विहित अर्हता धारित न करने के कारण निम्नवत् अभ्यर्थन निरस्त किया गया है :-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
01.	813019	बी0टेक0 कम्प्यूटर इंजीनियरिंग। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
02.	814885	बी0टेक0 (इलैक्ट्रानिक्स कम्प्यूनिकेशन)। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
03.	820520	बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
04.	823770	बी0ई0 (कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग)। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
05.	828820	बी0बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
06.	845284	बी0एस0सी0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
07.	845472	बी0टेक0 (सिविल इंजीनियरिंग)। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
08.	847052	बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
09.	854497	बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
10.	854707	बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
11.	864270	बी0एस0सी0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
12.	827306	अभ्यर्थी द्वारा धारित अर्हता पी0जी0 डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट है, जिसमें वास्तु का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा धारित अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत अंक-पत्र में अर्हता धारित करने की तिथि 15.02.2017 अंकित है। विज्ञापन के अनुसार अर्हता दिनांक 25.10.2016 तक पूर्ण होनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
13.	835772	अभ्यर्थी द्वारा धारित अर्हता बैचलर ऑफ प्लानिंग है, जिसमें वास्तु का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा धारित अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत अंक-पत्र में अर्हता धारित करने की तिथि



		12.11.2016 अंकित है। विज्ञापन के अनुसार अर्हता दिनांक 25.10.2016 तक पूर्ण होनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
14.	878228	अभ्यर्थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में स्नातक धारक है, जिसमें टाउन प्लानिंग का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा धारित अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत अंक-पत्र में अर्हता धारित करने की तिथि 12.11.2016 अंकित है। विज्ञापन के अनुसार अर्हता दिनांक 25.10.2016 तक पूर्ण होनी चाहिए। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
15.	828453	अभ्यर्थी पी0जी0 डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट धारक है, जिसमें वास्तु का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
16.	840222	अभ्यर्थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट धारक है, जिसमें टाउन प्लानिंग का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
17.	860223	अभ्यर्थी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट धारक है, जिसमें टाउन प्लानिंग का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
18.	874129	अभ्यर्थी पी0जी0 डिप्लोमा इन अर्बन मैनेजमेंट धारक है, जिसमें वास्तु प्लानिंग का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
19.	876478	अभ्यर्थी बैचलर ऑफ प्लानिंग धारक है, जिसमें टाउन एवं वास्तु का उल्लेख नहीं है। उक्त अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता के अनुरूप नहीं है। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।

(v) जिला सूचना अधिकारी पद हेतु विज्ञापन में विहित अर्हता धारित न करने के कारण निम्नवत् अभ्यर्थन निरस्त किया गया है :-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
01.	813019	बी0टेक0 कम्प्यूटर इंजीनियरिंग। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
02.	804689	बी0एस0सी0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
03.	823770	बी0ई0 कम्प्यूटर साईन्स। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
04.	828820	बी0बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
05.	847052	बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
06.	878554	बी0एस0सी0 एवं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में स्नातकोत्तर। स्नातक में हिन्दी विषय नहीं है।

07.	818772	अभ्यर्थी द्वारा एकल विषय हिन्दी में अर्हता धारित करने के सम्बन्ध में, जो अंक-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें तिथि 03.02.2017 अंकित है। विज्ञापन के अनुसार अर्हता दिनांक 25.10.2016 तक पूर्ण होनी चाहिए। उक्त तिथि तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
08.	866561	अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2016 को 42वर्ष से अधिक है। विज्ञापन के प्राविधानानुसार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 42वर्ष नहीं होनी चाहिए। उक्त प्राविधान के अनुसार अधिवयस्क होने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।

(vi) फीचर लेखक पद हेतु विज्ञापन में विहित अर्हता धारित न करने के कारण निम्नवत् अभ्यर्थन निरस्त किया गया है :-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
01.	813019	बी0टेक0 कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
02.	828820	बी0बी0ए0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
03.	837611	बी0एस0सी0। वांछित अर्हता धारित नहीं करते हैं।
04.	848887	पत्रकारिता में स्नातक एवं मास कम्प्युनिकेशन में स्नातकोत्तर। हिन्दी विषय में स्नातक नहीं है।
05.	854497	बी0ए0 हिन्दी। पत्रकारिता में डिप्लोमा/डिग्री धारक नहीं हैं।
06.	878554	बी0एस0सी0 एवं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में स्नातकोत्तर। स्नातक में हिन्दी विषय नहीं है।
07.	818772	अभ्यर्थी द्वारा एकल विषय हिन्दी में अर्हता धारित करने के सम्बन्ध में, जो अंक-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें तिथि 03.02.2017 अंकित है। विज्ञापन के अनुसार अर्हता दिनांक 25.10.2016 तक पूर्ण होनी चाहिए। उक्त तिथि तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।

(vii) समेकित पद हेतु विज्ञापन के प्राविधानानुसार निम्नवत् अभ्यर्थन निरस्त किया गया है:-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
01.	864897	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग/उत्तराखण्ड महिला का दावा किया गया है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.07.2017 प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी न होने के आधार पर सामान्य श्रेणी में अभ्यर्थन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विज्ञापन दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 के प्राविधानों के आधार पर निर्णय लिया है कि विज्ञापन में उल्लिखित है कि ऑनलाईन आवेदन में अंकित की गयी आरक्षण इत्यादि की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध

		<p>स्वीकार किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने पर आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में घोषणा के अन्तर्गत यह शपथ प्रस्तुत की गयी है कि इस आवेदन-पत्र में अंकित की गयी सूचनाएँ सत्य व सही है तथा कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थिनी द्वारा आयोग को धोखा देकर प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और सामान्य श्रेणी की मेरिट के अंक ज्ञात हो जाने पर दिनांक 14.07.2017 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। यदि प्रार्थिनी का गलती हो जाने वाले कथन का मन्तव्य स्पष्ट होता तो वह प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम से पूर्व आयोग के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकती थी। उपरोक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.07.2017 को अस्वीकार करते हुए अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग का न होने के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।</p>
02.	857493	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित जाति का दावा किया गया है, परन्तु मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों के साथ उक्त दावे की पुष्टि के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकता, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।</p>
03.	823242	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित जाति का दावा किया है तथा मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों के साथ उत्तर-प्रदेश (मुरादाबाद) के अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के अधिवासियों को ही अनुमन्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी का जमा किया होता तब अभ्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी की मेरिट में सफल होने पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता था, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी का ही परीक्षा शुल्क जमा किया है तथा आरक्षित श्रेणी में ही प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। उक्त के क्रम में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।</p>
04.	820205	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व सैनिक उप-श्रेणी का दावा किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र दिनांक 01.12.2016 से अभ्यर्थी के पूर्व सैनिक होने की पुष्टि नहीं होती है। प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत</p>

		करते समय अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक होना आवश्यक है। अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के अंकों के आधार पर सामान्य श्रेणी में सफल नहीं है। उपरोक्त के क्रम में पूर्व सैनिक न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।			
05.	853379	अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का दावा किया गया है, परन्तु मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों में उक्त दावों की पुष्टि के सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।			
06.	800293	800807	801444	809797	अभ्यर्थीगण द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में उत्तराखण्ड महिला के आरक्षण का दावा किया गया है, परन्तु मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों के साथ उत्तराखण्ड राज्य का अधिवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकता है, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
	816864	817090	817544	818082	
	818455	818858	818922	819116	
	819787	819804	820403	823516	
	825596	826235	830331	830530	
	830875	831676	833566	834538	
	834839	837642	839118	840440	
	840744	841265	843839	843855	
	845590	849112	849545	850366	
	851751	851958	853381	853409	
	853417	862367	867332	867791	

यह सूचित किया जाता है कि उक्त अनर्ह-सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में पुष्ट प्रमाणों के साथ अपना प्रत्यावेदन **दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के सायं 06:00 बजे तक** सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


(आनन्द स्वरूप)
सचिव।